राजस्थान संस्थाएं रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत
संस्था रजिस्ट्रेशन कराने हेतु आदर्श विधान (नियमावली)

आवेदन प्रपत्र

गौरव प्रकाशन
18, भगवान दास मार्केट, चौड़ा रास्ता,
जयपुर- फोन : 325434

राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत संस्था पंजीकृत कराने हेतु आदर्श

विधान (नियमावली)
तथा
संघ-विधान पत्र

कृपया आवेदन करने से पूर्व निम्न बातों का ध्यान रखे:-

1. यह आदर्श विधान (नियमावली) व संघ विधान पत्र केवल मार्गदर्शन के लिए हैं। संस्था के उद्देश्यों व कार्यक्षेत्र के अनुसार इसके अनुरूप परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा परिवर्तन अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत ही मान्य होगा।
2. प्रबन्धकारिणी में सृजित पद संस्था के अनुरूप घटाये या बढ़ाए जा सकते हैं। पद के नाम भी परिवर्तित किये जा सकते हैं।
3. संस्था के उद्देश्य अधिनियम, 1958 की धारा 20 के अनुरूप ही होना आवश्यक है। सुविधा के लिये क्रमांक 9 पर धारा 20 अंकित है।
4. रिक्त स्थानों की पूर्ति संस्था द्वारा ही की जानी है।
5. प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के तीन-तीन पदाधिकारियों के हस्ताक्षर करवाया जाना आवश्यक है।
6. संघ विधान पत्र में क्रम संख्या 4 में संस्था की प्रबन्धकारिणी का विवरण ही अंकित करना है तथा क्रम संख्या 6 पर उनके व अन्य सदस्यों के नाम/पिता का नाम अंकित कर हस्ताक्षर करवाये जावे। यह भी ध्यान रखें कि कम से कम 7 सदस्यों की प्रबन्धकारिणी पर ही संस्था पंजीकृत की जावेगी जिसमें कम से कम 15 आवेदक सदस्यों का होना अनिवार्य है।
7. संघ विधान पत्र के अन्त में 2 साक्षियों के हस्ताक्षर करावें। साक्षीगण संस्था के सदस्य नहीं होने चाहिये।
8. अनावश्यक को काट कर लघु हस्ताक्षर करें।

धारा-20

9. **सोसाइटियां जिनका रजिस्ट्रीकरण इस अधिनियम के अधीन किया जा सकेगा:-** इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित सोसाइटियों की रजिस्ट्री की जा सकेगी अर्थात:-

पूर्व प्रयोजनों के लिए स्थापित सोसाइटियां, सैनिक अनाथ निधियां, [1][खादी और ग्रामोद्योग], साहित्य, विज्ञान या ललित कलाओं की प्रोन्नति के लिये स्थापित सोसाइटियां, शिक्षण या उपयोगी जानकारी अथवा राजनैतिक शिक्षा के प्रसार के स्थापित सोसाइटियां सदस्यों के साधारण प्रयोग के लिये या जनता के लिये खुले पुस्तकालयों या वाचनालयों के प्रतिष्ठान या अनुरक्षण और रंगचित्रों और अन्य कलाकृतियों के लोक संग्रहालयों और गैलरियों के लिए स्थापित सोसाइटियां, प्राकृतिक इतिहास के संकलनों और यांत्रिक और दार्शनिक आविष्कारों, लिखितों या अभिकल्पनाओं के लिये स्थापित सोसाइटियां।

1. राजस्थान राज-पत्र विशेषांक भाग 4 (क) दिनांक 17-5-1995 द्वारा अन्त:स्थापित किया गया।

10. राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र प्रारूप प्राप्त कर उसमें दिये गये निर्देशों की पूर्ति करते हुये विधान पत्र एवं विधान नियमावली के अनुसार ही प्रस्तुत किये जावें।

11. आवेदन पत्र के साथ अध्यक्ष, मन्त्री एवं कोषाध्यक्ष के राशन कार्ड की फोटो कापी/स्थाई निवास संबंधी प्रमाण-पत्र एवं संलग्न निर्धारित प्रारूपानुसार रुपये 5/- के स्टाम्प पर उक्त तीन अधिकृत पदाधिकारियों की ओर से शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत किया जावे।

12. आवेदन पत्र अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा ही प्रस्तुत किया जावे। अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार्य नहीं होगा।

13. आवेदन पत्र का पृष्ठ 12 नोटेरी पब्लिक तथा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा शपथ पत्र नोटेरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये।

14. ग्राम, मोहल्ला, कालोनी, विकास समितियों, नवयुवक मण्डल के पंजीयन हेतु आवेदित प्रार्थना पत्र में कार्य क्षेत्र के 60 प्रतिशत निवासी आवेदक सदस्य होने चाहिये।

15. ग्रामीण क्षेत्र से आवेदित प्रार्थना पत्र क्षेत्रीय नगर पालिका, ग्राम पंचायत अथवा विकास अधिकारी के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत की जावे।

16. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन प्रपत्र व्यक्तिगत रूप से अधिकृत पदाधिकारी द्वारा पंजीयन हेतु पत्रावली (फाईल) के रूप में पत्र प्राप्ति शाखा में प्रस्तुत की जावे।

17. पंजीकृत संस्था के मूल पंजीयन पत्रादि अधिकृत पदाधिकारी/शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पदाधिकारियों को देय होंगे।

18. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबन्धकारिणी सदस्यों में से कम से कम तीन व्यक्ति शिक्षण कार्य अनुभव वाले होने चाहिये।

19. शिक्षण संस्था के पंजीयन हेतु प्रबंधकारिणी सदस्यों में से एक सदस्य बी.एड. एवं दो सदस्य ग्रैजूएट आवश्यक हैं।

20. अन्य संस्थायें जिनके द्वारा शिक्षण, तकनीकी या अन्य कार्य जिसका की प्रशिक्षण दिया जाना है योग्यता या अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है।

21. एक परिवार से एक व्यक्ति को प्रबंधकारिणी में शामिल किया जाना चाहिये। "परिवार" से तात्पर्य ऐसे किसी परिवार से है जिसमें पति और पत्नि, उनके बच्चे और उक्त बच्चों के बच्चे जो उस पर आश्रित हो तथा पति की विधवा मां जो पूर्ण रूपेण आश्रित हो।

22. संस्था पंजीयन हेतु आवेदन के 7 दिवस के बाद कभी भी कार्यालय दिवस को संस्था शाखा प्रभारी से सम्पर्क कर पंजीयन कार्यवाही की चालू प्रक्रिया के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

23. अधिसूचना क्रमांक प. 4 (5) कृषि-4/सह./91 दिनांक 29.1.1998 द्वारा राज्य सरकार तत्काल प्रभाव से संस्थाओं के प्रत्येक रजिस्ट्रेशन के लिये रजिस्ट्रेशन शुल्क 250/- रुपये के स्थान पर 2500/- रुपये निर्धारित करती है।

नोट : रजिस्ट्रार संस्थाएं द्वारा पंजीयन शुल्क जमा कराने के आदेश प्रदान किये जाने के उपरान्त ही पंजीयन शुल्क रजिस्ट्रार संस्थाऐं के हस्ताक्षर से ही जमा कराया जावे।

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

श्री राम चन्द्र स्वामी मैमोरियल डिफेंस शिक्षा समिति ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~

संघ विधान-पत्र

1. **संस्था का नामः-** इस संस्था का नाम श्री रामचन्द्र स्वामी मैमोरियल डिफेंस शिक्षा समिति, हनुमानगढ़ ~~समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था~~ है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय हनुमानगढ़ टाऊन, 15 एच.एम.एच., जिला हनुमानगढ़ है
तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ़ क्षेत्र तक सीमित होग तथा भविष्य में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया जा सकेगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1. – शिक्षा के क्षेत्र में नवीन उपलब्धियों का भारतीय संस्कृति के निरन्तर स्वरूप एवं शिष्टताओं के साथ समन्वय करते हुए शिक्षा एवं स्वरूप तथा प्रणाली का इस प्रकार विकास करना कि यह राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।
2. – छात्रों एवं नागरिकों में देश भक्ति, निर्भयता, अनुशासन, निष्ठा एवं श्रमशीलता आदि गुणों का विकास करना तथा उनके नैतिक उत्थान हेतु आवश्यक कार्य करना।
3. – निरन्तर अनुसंधान के आधार पर शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार करना।
4. – शैक्षिक एवं सहसहगामी प्रवृतियों के माध्यम से बालक-बालिकाओं के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चहुंमुखी विकास करना।
5. – स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना स्त्रियों में स्वावलंबी

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Bhagwan Dan अध्यक्ष Anita मन्त्री कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

होने हेतु प्रेरणा व सिलाई, कताई, बुनाई आदि प्रवृतियां चलाकर उनको प्रशिक्षित करना।

6. – गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देकर उनको शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाना।

7. – बालक - बालिकाओं को सैनिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना और सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित करना।

8- केन्द्रिय सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बिना जाति और लिंग, शिक्षा प्रदान करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Bhagwan Das
अध्यक्ष

Anita
मंत्री

कोषाध्यक्ष
Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

4. संस्थान का कार्यभार संस्था के नियमानुसार एक कार्यकारिणी समिति को सौंपा गया है, जिसके प्रथम वर्तमान पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :–

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
1.	श्री भगवान दास S/o स्व. श्री माल दास	वकालत	वार्ड नं. 017, हनुमानगढ़ टाउन	अध्यक्ष
2.	श्रीमति कमलादेवी W/o श्री रामचन्द्र स्वामी	गृहिणी	गुड़ मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन	उपाध्यक्ष
3.	श्रीमति अनीता W/o श्री योगेश कुमार स्वामी	गृहिणी	वार्ड नं. 17, हनुमानगढ़ टाउन	मंत्री/सचिव
4.	श्रीमति वन्दना W/o श्री विनोद कुमार	गृहिणी	वार्ड नं. 17, हनुमानगढ़ टाउन	कोषाध्यक्ष
5.	श्रीमति पंकज W/o श्री महावीर स्वामी	गृहिणी	गुड़ मण्डी, हनुमानगढ़ टाउन	कार्यकारिणी सदस्य
6.	श्रीमति अमनदीप कौर W/o श्री परमिन्दर पाल बोरा	प्राईवेट टीचर	H.No. 383, Sec. No: 3 हनुमानगढ़ टाउन	सदस्य
7.	श्री हरिकिशन S/o श्री हनुमान दास	कृषि	वार्ड नं. 17, हनुमानगढ़ टाउन	सदस्य
8.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o श्री रघुपत सिंह गोदारा	वकालत	नई धान मण्डी, हनुमानगढ़ जं.	सदस्य
9.	श्री ओंकार सिंह S/o श्री पुष्पेन्द्र सिंह राघव	व्यवसाय/कृषि	किले वाली मस्जिद के पास हनुमानगढ़ टाउन	सदस्य

Bhagwan Das
अध्यक्ष

Anita
मंत्री

कोषाध्यक्ष
Vandna

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	पद
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				

अध्यक्ष Bhagwan Ram

Anita मन्त्री

कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

5. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, जिनके नाम, व्यवसाय व पूर्ण पते निम्न प्रकार हैं, इस संघ विधान के अन्तर्गत इस संस्था के रूप में गठित होने व इसे रजिस्ट्रीकृत करवाने के इच्छुक हैं :-

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
1.	श्री भगवान दास S/o श्री माल दास	वकालत	वार्ड नं. 17 हनुमानगढ़ टा.	Bhagwan Das
2.	श्री मति कमला देवी W/o स्व श्री रामचन्द्र स्वामी	गृहिणी	गुड़ मण्डी हनुमानगढ़ टा.	[illegible]
3.	श्री मति अनिता W/o श्री योगेश कुमार स्वामी	गृहिणी	वार्ड नं. 17 हनुमानगढ़ टा.	Anita
4.	श्री मति वन्दना W/o श्री विनोद कुमार	गृहिणी	वार्ड नं. 17 हनुमानगढ़ टा.	Vandan.
5.	श्री मति पंकज W/o श्री महावीर स्वामी	गृहिणी	गुड़ मण्डी, हनुमानगढ़ टा.	Pankaj Swa[illegible]
6.	श्री मति अमनदीप कौर W/o श्री परविन्दर पाल खोसा	टीचर	H.No. 383 Sec No. 3 हनुमानगढ़ टाउन	अमनदीप कौर
7.	श्री हरिकिशन S/o श्री हनुमानदास	कृषि	वार्ड नं. 17 हनुमानगढ़ टा.	हरिकिशन
8.	श्री राजेन्द्र कुमार S/o श्री भूपेन्द्र सिंह	वकालत	नई धान मण्डी हनुमानगढ़ टाउन	राजेन्द्र कुमार
9.	श्री कन्हैया लाल S/o श्री जेठा दास	वकालत	डबवाली रोड़ संगरिया	Kanhaiya La[illegible]

Bhagwan Das
अध्यक्ष

Anita
मन्त्री

कोषाध्यक्ष
Vandan.

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
10.	श्री दिनेश कुमार S/o श्री सोहन लाल	कृषि	गुड़ मण्डी हनुमानगढ़ टा०	दिनेश स्वामी
11.	श्री यासीन खां S/o श्री फतेह मोहम्मद	व्यवसाय	किले के पास हनुमानगढ़ टाऊन	YA Sin Khan
12.	श्री सुरेश कुमार S/o श्री बनवारी लाल	व्यवसाय	बरकत कॉलोनी हनुमानगढ़ टाऊन	सुरेश कुमार
13.	श्री विजय कुमार S/o श्री शिवकुमार	व्यवसाय	पुलिस कालौनी हनुमानगढ़ टाऊन	Vijay
14.	श्री सुभाष मिढ्ढा S/o श्री बनवारी लाल	व्यवसाय	वार्ड नं० 17 हनुमानगढ़ टाऊन	सुभाष
15.	श्री [illegible] सिंह S/o श्री पुष्पेन्द्र सिंह राघव	व्यवसाय कृषि	किले वाली मस्जिद के पास हनुमानगढ़ टाऊन	Onkar Singh
16.				
17.				
18.				

अध्यक्ष Bhagwan Das

मंत्री Anita

कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
19				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				

Bhagwan Das
अध्यक्ष

Anita
मन्त्री

कोषाध्यक्ष
Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

क्र. सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				

अध्यक्ष Bhagwan Dass

Anita मन्त्री

कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज०)

(12)

क्र सं.	नाम व पिता का नाम	व्यवसाय	पूर्ण पता	हस्ताक्षर
37.				
38				
39				
40				

1- पंजीयन क्रमांक 74/ह०/2001-02
2- नाम ...
3- दस्तावेज ...
4- ... की संख्या ...
5- ... पंजीयन 26/11/01
6- ... रजिस्ट्रार

रजिस्ट्रार संस्थाएं
हनुमानगढ़ (राज.)

NOTARY Govt. of Rajasthan ... WARYAM ... SINGH

हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता प्रमाणित करते हैं कि उपरोक्त हस्ताक्षरकर्ताओं को हम जानते हैं व उन्होंने हमारे समक्ष अपने अपने हस्ताक्षर किये हैं। हम यह भी घोषित करते हैं कि हम संस्था के सदस्य नहीं हैं।

(साक्षी)	(साक्षी)
1. हस्ताक्षर	2. हस्ताक्षर
(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)	(नाम/व्यवसाय/पूर्ण पता)

ATTESTED
Waryam Singh Marwaha
(ADVOCATE/NOTARY)
HANUMANGARH JUNCTION
Distt. Hanumangarh (Raj.)

जिला हनुमानगढ़
कोड सं. 007001

Identified by ...

नोट : शपथ पत्र नोटरी पब्लिक अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित कराना होगा।

अध्यक्ष मन्त्री कोषाध्यक्ष

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

श्री रामचन्द्र स्वामी मैमोरियल डिफेंस (प्रेस) / समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था

विधान (नियमावली)

1. **संस्था का नाम:-** इस संस्था का नाम श्री रामचन्द्र स्वामी मैमोरियल डिफेंस शिक्षा समिति, हनुमानगढ़ । समिति/सोसाइटी/संस्थान/संस्था है व रहेगा।

2. **पंजीकृत कार्यालय तथा कार्यक्षेत्र:-** इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय हनुमानगढ़ टाऊन, 15 एच.एम.एच हनुमानगढ़ है
तथा इसका कार्यक्षेत्र जिला हनुमानगढ़ क्षेत्र तक सीमित होगा। तथा भविष्य में इसके कार्य क्षेत्र का विस्तार भी किया जा सकेगा।

3. **संस्था के उद्देश्य:-** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:-

1.– शिक्षा के क्षेत्र में नवीन उपलब्धियों का भारतीय संस्कृति के शाश्वत स्वरूप एवं शिष्टताओं के साथ समन्वय करते हुए शिक्षा एवं स्वरूप तथा प्रणाली का इस प्रकार विकास करना कि यह राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप हो।

2.– छात्रों एवं नागरिकों में देश भक्ति, निर्भयता, अनुशासन, शिष्टता एवं क्षमशीलता आदि गुणों का विकास करना तथा उनके उत्थान हेतु आवश्यक कार्य करना।

3.– निरंतर अनुसंधान के आधार पर शैक्षणिक प्रक्रिया में सुधार करना।

4.– शैक्षिक एवं सहसहमी प्रवृतियों के माध्यम से बालक - बालिकाओं का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चहुंमुखी विकास करना।

5.– स्त्री शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहित करना स्त्रियों में स्वावलंबी

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

अध्यक्ष Bhagwan Das   Anita मन्त्री   कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

होने हेतु प्रेरणा व सिलाई, कढ़ाई बुनाई प्रवृत्तियों को चलाकर उनको प्रशिक्षित करना।

6.– गरीब बच्चों, अनाथ बच्चों की तरफ विशेष ध्यान देकर उनको शिक्षित एवं स्वावलंबी बनाना।

7.– बालक – बालिकाओं को सैनिक पाठ्यक्रम का प्रशिक्षण देना और सेना में भर्ती होने हेतु प्रोत्साहित करना।

8.– केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार बिना जाति भेद लिंग के, शिक्षा प्रदान करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

Bhagwan Das
अध्यक्ष

मंत्री

कोषा

Vandana

Principal
...Ramchander Memorial
...ernational School
Hanumangarh Town

4. **सदस्यता :–**

निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे:–

1- संस्था के कार्य क्षेत्र में निवास करते हों।

2- बालिग हों।

3- पागल, दीवालिये न हों।

4- संस्था के उद्देश्यों में रुचि व आस्था रखते हों।

5- संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण :–**

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होंगे :–

1-संरक्षक

2-विशिष्ट

~~3-सम्माननीय~~

4-साधारण

(जो लागू न हो, उसे काट दीजिये)

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :–**

उपनियम संख्या 4 में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क व चन्दा देय होगा :–

1-संरक्षक राशि......2100.........वार्षिक/~~आजन्म~~

2-विशिष्ट राशि......500.........वार्षिक/आजन्म

~~3-सम्माननीय–राशि~~..............वार्षिक

4-साधारण राशि......1000.......वार्षिक

उक्त राशि एक मुश्त अथवा रु. ....×.........×.........×.....................

की मासिक की दर से जमा कराई जा सकेगी।

7. **सदस्यता से निष्कासन :–**

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा :–

1-मृत्यु होने पर

2-त्याग-पत्र देने पर

3-संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर

4-प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।

रजिस्ट्रार संस्थाएं

अध्यक्ष Bhagwan Das Anita मंत्री कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर-अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. साधारण सभा:–	संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेंगे।
9. साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–	साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्तव्य होंगे :– 1-प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना। 2- वार्षिक बजट पारित करना। 3- प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना। 4- संस्था के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्धन करना। (जो रजिस्ट्रार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा।
10. साधारण सभा की बैठकें :–	1- साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेष सभा अध्यक्ष/मन्त्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी। 2- साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा। 3- बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व दी जायेगी। 4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: 7 दिन पश्चात निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे। 5- संस्था के 1/3 अथवा 15 सदस्य इनमें से जो भी कम हों, के लिखित आवेदन करने पर मंत्री/अध्यक्ष द्वारा 1 माह के अन्दर-अन्दर बैठक आहूत करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/मंत्री द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों में से कोई भी 3 सदस्य नोटिस जारी कर सकेंगे तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज०)

Bhagwan Das अध्यक्ष   Anita मन्त्री   कोषाध्यक्ष Vandan

Principal
Swami Ramchander Memorial
International Sc
Hanumangarh Town

11. कार्यकारिणी का गठन :–

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा, जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगे :–

1. अध्यक्ष-एक 2. उपाध्यक्ष-एक

3. मन्त्री-एक 4. कोषाध्यक्ष-एक

5. सदस्य-~~सात-चार~~ ~~[illegible]~~ पांन्च

(उक्त पदों के अतिरिक्त अन्य पद या पदनाम परिवर्तन किये जावें, तो यहां अंकित करें। कम रखना चाहें तो कम रख लें।)

इस प्रकार प्रबन्धकारिणी में ......~~[illegible]~~ चार...... पदाधिकारी व ......~~[illegible]~~ पान्च...... सदस्य कुल ......नौ...... सदस्य होंगे।

12. कार्यकारिणी का निर्वाचन :–

1- संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव 2 वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।

2- चुनाव प्रत्यक्ष/~~अप्रत्यक्ष~~ प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

3- चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्तव्य :–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्तव्य होंगे :–

1- सदस्य बनाना/निष्कासित करना।

2- वार्षिक बजट तैयार करना।

3- संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।

5- साधारण सभा द्वारा पारित निर्णयों को क्रियान्वित करना।

6- कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।

7- अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हों, करना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज०)

Bhagwan Das
अध्यक्ष

Amit
मन्त्री

कोषाध्यक्ष
Vandana

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

(18)

14. कार्यकारिणी की बैठकें :– 1- कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष/मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।

2- बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से अधिक होगा।

3- बैठक की सूचना प्राय: 7 दिन पूर्व दी जावेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।

4- कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुन: दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आम सभा में कराना आवश्यक होगा।

15. प्रबन्धकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :– **संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होंगे :–**

1-अध्यक्ष :

1- बैठकों की अध्यक्षता करना।

2- मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।

3- बैठकें आहूत करना।

4- संस्था का प्रतिनिधित्व करना।

5- संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।

2-उपाध्यक्ष :

1- अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।

2- प्रबन्धकारिणी द्वारा प्रदत्त अन्य अधिकारों का उपयोग करना।

3-मन्त्री :

1- बैठकें आहूत करना।

2- कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

Bhagwan Das **अध्यक्ष** Anita **मन्त्री** **कोषाध्यक्ष** Vcendra

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town

3- आय-व्यय पर नियन्त्रण करना।

4- वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।

5- संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।

6- पत्र व्यवहार करना।

7- सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हों।

Anita

4-उपमंत्री :

1- मन्त्री की अनुपस्थिति में मन्त्री पद के समस्त कार्य संचालन करना।

2- अन्य कार्य जो प्रबन्धकारिणी/मन्त्री द्वारा सौंपे जावें।

5-कोषाध्यक्ष :

1- वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करना।

2- दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।

3- चन्दा/शुल्क/अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।

4- अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. र ा का कोष :- संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :-

1- चन्दा

2- शुल्क

3- अनुदान

4- सहायता

5- राजकीय अनुदान

1- उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।

2- अध्यक्ष/मन्त्री/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन-देन संभव होगा।

अध्यक्ष Bhagwan Dass मन्त्री Anita कोषाध्यक्ष Vandana

Principal
Swami Ramchander Ma... International School
Hanumangarh Town

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

17. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–	संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे :– 1-अध्यक्ष 10,000 रु. 2-मन्त्री 2,500 रु. 3-कोषाध्यक्ष 2,500 रु. उपरोक्त राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा। अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जायेगी।
18. संस्था का अंकेक्षण :–	संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं को प्रस्तुत करने होंगे। 1 अप्रैल से 31 मार्च
19. संस्था के विधान में परिवर्तन :–	संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।
20. संस्था का विघटन :–	यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ, तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित करदी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी। रजिस्ट्रार संस्थाऐं को पंजीयन रद्द करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. संस्था के लेखे जोखे का निरीक्षण :–	रजिस्ट्रार संस्थाएं .... को संस्था के रेकार्ड का निरीक्षण/जांच करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

प्रमाणित किया जाता कि उक्त विधान (नियमावली) [illegible] स्वामी ... मेमोरियल .... डिफेंस शिक्षा समिति/सोसायटी/संस्थान/संस्था की सही व सच्ची प्रति है।

2-संस्था का नाम [illegible]

3-[illegible] दस्तावेज विधान, [illegible]

4-दस्तावेजों की संख्या तीन

5-[illegible] पंजीयन 26-[illegible]

Bhagwan Das — अध्यक्ष

Anita — मन्त्री

[illegible] — कोषाध्यक्ष

[illegible] 2004

Bhagwan Das — अध्यक्ष

Anita — मन्त्री

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

Vandana — कोषाध्यक्ष

प्रमाणित किया जाता है कि यह नकल [illegible]

हस्ताक्षर [illegible]

इस्तावार [illegible] की दि० 27/1/01

नकल हेतु आवेदन [illegible] की दि० 29/1/01

नकल तैयार करने की दि० 29/1/01

नकल देने की दि० [illegible]

रजिस्ट्रार संस्थाएं हनुमानगढ़ (राज.)

Principal
Swami Ramchander Memorial
International School
Hanumangarh Town